मुद्दे की कोई प्रासंगिकता नहीं है।इन निर्णयों में, विचार किया गया बिंदु पूरी तरह से अलग था और मुद्दे के बिंदु से संबंधित नहीं था।भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधायिका एक कानून पारित कर सकती है और इसके प्रावधानों को पूर्वव्यापी बना सकती है।इस तरह की पूर्वव्यापीता को एक पक्ष द्वारा चुनौती दी जा सकती है जहां पूर्वव्यापी कार्रवाई पूरी तरह से लगाए गए कर के चरित्र को बदल देती है या इसे प्रविष्टि की सीमाओं के बाहर बनाती है जो विधानमंडल को कानून बनाने की क्षमता देती है या जो परिवर्तन किया गया है वह इतना अनुचित है कि इसे मनमाना बना देता है।वर्तमान मामले में कर के भुगतान से छूट देते समय एक शर्त लगाई जाती है कि इकाई को इकाई को दी गई छूट की अवधि के दौरान काम करना चाहिए अन्यथा कर की उस राशि को वापस करने का दायित्व जिसके लिए छूट दी गई थी।लगाया गया प्रतिबंध न तो मनमाना है और न ही पूर्वव्यापी है।

(7) तब याचिकाकर्ता के लिए परामर्श; यह माना गया कि इस मामले में सुनवाई का आदेश गुण-दोष के आधार पर दिया गया है क्योंकि प्रत्यर्थी-प्राधिकरण पहले ही देय कर का लगभग 60 प्रतिशत वसूल कर चुके हैं। 5,11,000 नीलामी और संपत्ति की बिक्री द्वारा और रु। 1.00,000 बैंक ड्राफ्ट द्वारा से जमा किया गया।हम इस समर्पण में बल पाते हैं।याचिकाकर्ता कंपनी को लगभग एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए और लगभग 60 प्रतिशत कर की वसूली पहले ही की जा चुकी है, हम प्रथम अपीलीय प्राधिकरण यानी संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील) को निर्देश देते हैं।रोहतक योग्यता के आधार पर अपील की

सुनवाई करेगा और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद उसका निपटारा करेगा।अपील की सुनवाई के लिए पूर्व शर्त के रूप में शेष कर जमा करने की शर्त को हटा दिया गया है।पक्षकारों को 3 अगस्त, 1994 को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

आर. एन. आर.

माननीय आर. पी. सेठी, जे. एल. गुप्ता और एन. के. कपूर, जे. जे., के सामने

चैम्बेल सिंह, याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और।-उत्तरदाता।

1989 की *सिविल रिट याचिका संख्या* 5592।

23 सितंबर, 1994।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-तदर्थ सेवा-क्या *संवर्ग में*

वरिष्ठता की ओर गिना जाना है।

आयोजित, वह पैरा 44 के पठन से।निदेशक भर्ती वर्ग-11 इंजीनियरिंग अधिकारी संघ में खंड *(ए) और (बी) और अन्य मामलों* में अघोर नाथ डे के मामले में *इन खंडों की व्याख्या* और शीर्ष न्यायालय के पहले के फैसलों में व्यक्त किए गए विचारों के साथ यह कहा जा सकता है -

(i) कि एक तदर्थ नियुक्ति के *रूप में* अवधि को किसी पदधारी की वरिष्ठता पर विचार करने तदर्थ ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

(ii) यदि केवल तब होती है जब ऐसी नियुक्ति नियमों के अनुसार होती है और विराम अंतराल व्यवस्था के माध्यम से नहीं होती है और केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता का पालन करने की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार प्रदान की जाने वाली सेवाओं को संवर्ग में उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा;

(iii) नियमों की अनुपस्थिति में में, यह ध्यान में रखना होगा कि क्या इस प्रकार की नियुक्ति एक मौजूदा रिक्ति के खिलाफ है और सीमित अवधि के लिए नहीं है और उस स्थिति में किसी पदधारी द्वारा इस तरह खर्च की गई अवधि को संवर्ग में उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए माना जा सकता हैः

(iv) यदि नियुक्ति कुछ प्रक्रियात्मक दोषों की कमी को छोड़कर अन्यथा नियमित है, तो इस तरह के दोष/दोष बाद के नियमितीकरण के साथ ठीक हो जाते हैं।

(v) किसी अपचारी अधिकारी की ओर से कुछ निष्क्रियता या न्यायालय के अंतरिम निर्देश के कारण पद पर केवल लंबे समय तक रहने से किसी नियुक्त व्यक्ति को संवर्ग में अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ऐसी अवधि को चिह्नित करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।कैडर में उनकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय एक विराम अंतराल व्यवस्था के रूप में सेवा की अवधि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।उपरोक्त बिंदु केवल उदाहरणात्मक हैं और सामग्री में संपूर्ण नहीं हैं।कोई भी बिंदु जो विशेष रूप से उसमें शामिल नहीं है, उसकी जांच डायरेक्ट रिक्रूट क्लास-II इंजीनियर के खंड (ए) और (बी) *के आलोक में की जानी चाहिए।आई. टी. ऑफिसर्स एसोसिएशन* और अन्य मामले *जैसा कि अघोर नाथ डे के मामले में समझाया गया है।*

(पैरा 18)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल इसलिए कि कोई सेवा विराम नहीं दिया गया है, इसे एक ऐसे कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है जो ऐसे पदधारी *को एक* तदर्थ कर्मचारी के रूप में खर्च तदर्थ गई अवधि को टैग करने का हकदार बनाता है।

(पैरा 19)

देस राज बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य (*सी. डब्ल्यू. पी 8603/1991 और सी. डब्ल्यू. पी. 4468/1986।

(अति-शासित)

सोहन लाल बनाम *हरियाणा राज्य, 1992 (4)*, एसएलआर 190।

(मंजूर)

गुरनाम सिंह अधिवक्ता, याचिकाकर्ता *के लिए।*

एच. एल. सिब्बल, ए. जी. हरियाणा सुश्री रीता कोहली, अधिवक्ता के साथ,

उत्तरदाताओं के लिए जी.के. चतरथ, ए.जी. पंजाब, सुश्री अनु चतरथ, अधिवक्ता के साथ

निर्णय

एन. के. कपूर जे.

(1) क्या किसी व्यक्ति द्वारा तदर्थ आधार *पर प्रदान की गई* सेवा को संवर्ग में उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से गिना जाना है, यह सवाल सोहन लाई बनाम हरियाणा राज्य[1] और देस राज बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, *1991 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8063,* मामलों में निर्णयों *में टकराव* को *देखते हुए पूर्ण* पीठ को *भेजा गया है।*

(2) निर्दिष्ट प्रश्न की जांच करने के लिए, किसी एक रिट याचिका के मुख्य तथ्यों को ध्यान में रखना उचित होगा।चूंकि 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 5592 में खण्ड पीठ ने इस कानूनी बिंदु को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार

[1] 1992 (4) S.L.R. 190.

के लिए भेजा है, इसलिए इस रिट याचिका के मुख्य तथ्यों को संक्षेप में दिया गया है।

(3) चंबेल सिंह 9.11.1967 को तदर्थ आधार पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा में उप निरीक्षक के रूप में शामिल हुए और 14.10.1971 को उनकी सेवाएं समाप्त होने तक विभाग में सेवा करते रहे।समाप्ति के आदेश को याचिकाकर्ता और अन्य ने रिट याचिका संख्या 4137/1971 दायर करके चुनौती दी थी, जिसमें मोशन बेंच ने अंतरिम राहत के माध्यम से समाप्ति के विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।सके बाद, याचिकाकर्ता और उसके जैसे लोगों को एक विशिष्ट शर्त के साथ अस्थायी आधार पर सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति दी गई कि सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों के शामिल होते ही उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी और अन्यथा भी बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई निर्देश दिए। बाद में, सेवा चयन बोर्ड ने याचिकाकर्ता के नाम को सब इंस्पेक्टर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की, जिसके अनुसरण में निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग/हरियाणा सरकार के संयुक्त सचिव ने 6 जून, 1972 को नियुक्ति पत्र जारी किया। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं की कार्रवाई से व्यथित महसूस किया क्योंकि उसके द्वारा तदर्थ आधार पर अर्थात 8.12.1967 से 10.6.1972 की अवधि के लिए प्रदान की गई सेवाओं को वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य परिणामी लाभों आदि के उद्देश्य से नहीं गिना जा रहा था। वर्तमान रिट याचिका दायर करके उसी पर हमला करना चुना। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने 9.11.1967 को विभाग में शामिल

होने के बाद से बिना किसी ब्रेक के विभाग की सेवा की है। बर्खास्तगी के आदेश दिनांक 14.10.1971 को मोशन बेंच द्वारा रोक दिए जाने के कारण, सेवा में कोई रुकावट नहीं आई है और इसलिए याचिकाकर्ता कैडर में अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए इस अवधि को टैग करने का हकदार है। 1986 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4468 (*देस राज बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*) में 11 फरवरी, 1988 को दिए गए फैसले पर इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था। मोशन बेंच ने आदेश दिनांक 2.5.1989 के तहत इस राय से सहमति नहीं जताई। जेवी गुप्ता, जे. द्वारा व्यक्त किया गया (जैसा कि वह तब था) और इसलिए याचिका को डिवीजन बेंच में स्वीकार कर लिया गया।

(4)याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री गुरनाम सिंह का प्रस्ताव है कि किसी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवा को उसकी वरिष्ठता निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, खासकर जब सेवा में कोई रुकावट न हो और प्रारंभिक नियुक्ति हो नियमों के विपरीत भी नहीं. *'देस राज बनाम हरियाणा राज्य और अन्य'* मामले में दिए गए जेवी गुप्ता, जे. (जैसा कि वह तब थे) के फैसले से समर्थन मांगा गया है। (1986 का सीडब्ल्यूपी नंबर 4468) और 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 8063 में जेएस सेखों और एसएस राठौड़, जेजे की डिवीजन बेंच का फैसला। वास्तव में, बाद की डिवीजन बेंच का फैसला के फैसले से अलग है। 1986 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4468 में जेवी गुप्ता, जे., इसके अलावा, हरियाणा खाद्य और आपूर्ति विभाग उप कार्यालय (समूह सी) सेवा नियम, 1982 (संक्षेप में "नियम") के नियम 11 का संदर्भ दिया गया था, जो सेवा में किसी भी पद पर सेवा के सदस्यों की उनकी निरंतर सेवा

अवधि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण करने की परिकल्पना की गई है। विस्तार से बताते हुए, वकील ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता की सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति, हालांकि तदर्थ, नियमों के विपरीत नहीं थी। याचिकाकर्ता ने लगभग 4-1/2 वर्ष की अवधि तक बिना किसी दोष के विभाग में सेवा की। 14.10.1971 को पारित बर्खास्तगी के आदेश पर मोशन बेंच ने रोक लगा दी थी और रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान सबसे पहले याचिकाकर्ता को काम करने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद नियुक्ति पत्र के माध्यम से सेवा चयन बोर्ड की सिफारिशों पर अस्थायी नियुक्ति की पेशकश की गई थी। दिनांक 6.6.1972. इस प्रकार, सभी उद्देश्यों के लिए, याचिकाकर्ता की सेवा में कोई रुकावट नहीं आई है, अन्यथा शीर्ष पर रहने वाले को बाद में इंस्पेक्टर के पद पर भी पदोन्नत किया गया है। वकील के अनुसार, सिविल रिट याचिका संख्या 8063/1991 में जे. डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II *इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य*, *एआईआर 1990 एससी 1607* के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव (ए) और (बी) के अनुरूप और इस प्रकार आग्रह किया गया कि संदर्भित बिंदु का उत्तर सकारात्मक में दिया जाए।

(5)1994 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2397 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री रणदीप सुरजेवाला ने मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रस्ताव विचार के लिए रखा:-

(i) सेवा को नियंत्रित करने वाले किसी वैधानिक नियम के अभाव में,

सामान्य नियम यह है कि वरिष्ठता निरंतर स्थानापन्न/तदर्थ सेवा की अवधि और उसके बाद पुष्टिकरण द्वारा नियंत्रित होगी। इस प्रकार, तदर्थ सेवा की कुल अवधि को इस अपवाद के अधीन ध्यान में रखना होगा कि वह व्यक्ति प्रारंभिक तदर्थ नियुक्ति के समय पद संभालने के लिए योग्य था।

(ii) एक बार जब किसी पदधारी को लागू सेवा नियमों के अनुसार किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वरिष्ठता की गणना पहली नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए, न कि पुष्टि की तारीख से। इस प्रकार, उपरोक्त स्थिति में तदर्थ सेवा पर विचार किया जाएगा।

(iii) स्थानापन्न की अवधि, यदि उचित समय तक जारी रहे, तो अपने आप में स्थायित्व का रंग दे देगी।

(6) उपरोक्त प्रस्तावों के समर्थन में, *डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन* के मामले (सुप्रा) में निर्णय का संदर्भ दिया गया था *जिसे* आगे *पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम अघोर नाथ डे और अन्य*[2] *के रूप में* रिपोर्ट *किए गए मामले में समझाया* गया है।

(7) अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील ने सर्व श्री गुमम सिंह और रणदीप सुरीवाला द्वारा दी गई दलीलों को अपनाया है।

(8) विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा, श्री एचएल सिब्बल ने शुरुआत में तथ्यात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला, अर्थात् याचिकाकर्ता की तदर्थ आधार

[2] Judgment Today 1993 (2) S.C. 598.

पर नियुक्ति, उसकी वैध समाप्ति और सेवा चयन बोर्ड द्वारा 6.6.1972 को किए गए चयन के अनुसार उसकी नई नियुक्ति के तथ्य। श्री सिब्बल के अनुसार, तदर्थ नियुक्ति अपने स्वभाव में ही किसी विशेष स्थिति को पूरा करने और कवर करने के लिए होती है और निश्चित रूप से एक निश्चित अवधि के लिए होती है। तात्कालिकता को देखते हुए, किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए तत्काल वरिष्ठ द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं है और किसी व्यक्ति को नियमितीकरण या कैडर में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं देती है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए दावे का खंडन करते हुए कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति नियमों के अनुसार है, विद्वान वकील ने नियम 1982 का हवाला दिया और आग्रह किया कि नियम किसी भी तदर्थ नियुक्ति की परिकल्पना नहीं करते हैं। किसी को सेवा में रहना होगा और उसके बाद कैडर में उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए उसकी निरंतर सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वकील के मुताबिक, नियमों का नियम 11 याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए दावे को गलत ठहराता है। श्री सिब्बल के अनुसार, जब तक किसी पदाधिकारी को किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है, तदर्थ कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा बिताई गई अवधि को उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जा सकता है, अर्थात यदि प्रारंभिक नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं है, तो ऐसी अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। उसकी वरिष्ठता निर्धारित करें. *डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य* , ए *आईआर 1990 एससी 1607; भारत संघ और अन्य. वी. प्रो. एसके शर्मा , एआईआर 1992 एससी 1188 (पैरा 5,6 और 8); पश्चिम*

बंगाल राज्य और अन्य। बनाम अघोर नाथ डे और अन्य, जेटी 1993(2) एससी 598; एसके साहा बनाम प्रेम प्रकाश अग्रवाल और अन्य, जेटी 1993(6) एससी 441 (पैरा 7 और 8); और उत्पाद शुल्क आयुक्त, कर्नाटक और अन्य। वी. वी. श्रीकांत, एआईआर 1993 एससी 1564 के रूप में रिपोर्ट किए गए मामलों में शीर्ष अदालत के फैसले पर निर्भरता रखी गई है। दो डिवीजन बेंचों द्वारा लिए गए परस्पर विरोधी निर्णय की ओर इशारा करते हुए, वकील ने आग्रह किया कि सोहन लाल के मामले (सुप्रा) में लिया गया निर्णय, वास्तव में, नियमों के नियम 11 के अनुरूप है और अन्यथा भी शीर्ष न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुरूप है जिसका संदर्भ निर्णयों में किया गया है, विशेष रूप से *भारत संघ बनाम एसके शर्मा, 1992(2) एसएलआर-373 और मसूद अख्तर खान और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। 1990(5) एसएलआर एससी 639।*

(9) श्री जीके चतरथ, विद्वान महाधिवक्ता, पंजाब ने महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा संबोधित तर्क को अपनाने के अलावा, *नीति राज सिंह और अन्य* बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य, 1992(2) एसएलआर 1, के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

(10) *देस राज* के मामले (सुप्रा) में, जेवी गुप्ता, जे. (जैसा कि वह तब था) इस आधार पर आगे बढ़े कि चूंकि इस आशय के कोई नियम और विनियम या निर्देश नहीं थे, इसलिए तदर्थ के रूप में सेवा की अवधि नहीं ली जाएगी। पदोन्नति और वरिष्ठता आदि के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार पदोन्नति और वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए भी उसी को ध्यान में रखा जाना

चाहिए। याचिकाकर्ता का कैडर में उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से उसकी तदर्थ सेवा को टैग करने का दावा मुख्य रूप से *देस राज* के मामले (सुप्रा) में फैसले पर आधारित है, जिसमें अधिकारियों को उसे लाभ देकर उसके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। उनकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि आदि के लिए तदर्थ आधार पर पिछली सेवा। इस निर्णय के कारण देस राज द्वारा दूसरी रिट याचिका दायर की गई (*सीडब्ल्यूपी संख्या 8063/1991*) जिसमें प्रतिवादियों को उनकी वरिष्ठता तय करने का निर्देश दिया गया है। *1986 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4468* में पारित आदेश की शर्तें 11 फरवरी 1988 को तय की गईं। संभवतः, *चंबेल सिंह* के मामले में 2.5.1989 को मोशन बेंच द्वारा पारित आदेश जिसमें *1986 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4468* में फैसले पर बहस की गई थी। देस राज मामले में खंडपीठ के ध्यान में नहीं लाया गया। देस राज के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि उसने केवल पहले के सिंगल बेंच के फैसले का पालन करना चुना और इसलिए इसके अनुपालन का आदेश दिया। इसमें न तो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का जिक्र है और न ही सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों का. दूसरी ओर, *सोहन लाल* के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच ने वरिष्ठता के निर्धारण को विनियमित करने वाले वैधानिक नियमों की विस्तार से जांच की है, अर्थात् हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग उप कार्यालय (समूह सी) सेवा नियम, 1982 और विशेष रूप से अभिव्यक्ति नियमों के नियम 11 के अनुसार सेवा के सदस्य। में उठाए गए तर्कों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करने पर। वैधानिक प्रावधानों के आलोक में, डिवीजन बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिकाकर्ता का दावा यानी वरिष्ठता निर्धारण के उद्देश्य से तदर्थ सेवा को जोड़ा जाना चाहिए,

स्पष्ट रूप से अस्थिर है; इसने आगे कहा कि मौजूदा मामले में ऐसे नियम हैं जो याचिकाकर्ता की वरिष्ठता के निर्धारण को नियंत्रित करते हैं। इसने आगे कहा कि एक या दूसरे फैसले में कोई भी सामान्य टिप्पणी शायद ही याचिकाकर्ता के मामले को आगे बढ़ाती है। इस दृष्टिकोण के लिए समर्थन शीर्ष के निर्णय (*एसके शर्मा* के मामले (सुप्रा) में न्यायालय) से मांगा गया था, जिसमें *ममूद अख्तर खान* के मामले (सुप्रा) में शीर्ष न्यायालय के पहले के फैसले पर भी भरोसा किया गया था। इस प्रकार, नवीनतम न्यायिक घोषणा पर भरोसा किया गया था। शीर्ष अदालत ने *मसूद अख्तर खान* के मामले (सुप्रा) में यह माना कि याचिकाकर्ता कैडर में अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से उसके द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवा को टैग करने का हकदार नहीं है। उल्लेखनीय है कि सोहन लाल भी याचिकाकर्ता हैं 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 5592 में याचिकाकर्ता के समान विभाग को । दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में डिवीजन बेंच का यह दृष्टिकोण., 1992(4) एसएलआर 704 हमारे लिए उपयुक्त है। शीर्ष न्यायालय को भी कई मामलों में ऐसे मामले की जांच करने का अवसर मिला। सभी का संदर्भ केवल निर्णय पर बोझ डालना होगा। फिर भी, चर्चा किए गए बिंदुओं पर निर्णय लेते समय निम्नलिखित निर्णयों में शीर्ष न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखना उचित होगा।

(11) एसबी पटवर्धन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, एआईआर 1977 एससी 205, के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में शीर्ष अदालत ने एक ओर पदोन्नति और दूसरी ओर उप अभियंताओं के पद पर

सीधी भर्ती के बीच सेवा में वरिष्ठता के प्रश्न की जांच की। प्रमोटरों ने इस आशय की शिकायत की कि कैडर में उप अभियंताओं के रूप में उनकी निरंतर सेवा अवधि के बावजूद, सीधी भर्ती वाले लोगों को उनसे वरिष्ठ दिखाया गया था। तथ्यों के आधार पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पदोन्नत और सीधी भर्ती वाले लोग एक ही कैडर के हैं और इन परिस्थितियों में यह माना गया कि सीधी भर्ती वाले और पदोन्नत व्यक्ति, हालांकि दो अलग-अलग स्रोतों से लिए गए हैं, एक ही एकीकृत कैडर का गठन करते हैं। वे समान कार्य करते हैं, समान जिम्मेदारियाँ निभाते हैं और अपने संबंधित कार्यों में काफी अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच अंतर करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं था जैसा कि उन्होंने बॉम्बे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (क्लास I और क्लास II) भर्ती नियम, 1960 के नियम 8 (iii) के आधार पर मांगा था और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघनकारी होने के कारण रद्द कर दिया गया था। *डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य मामले* (सुप्रा) में, मामला यह है कि वरिष्ठता की गणना कैसे की जाएगी, क्या इसकी गणना नियुक्ति की तारीख से की जाएगी या पुष्टि की तारीख से, और क्या स्थानापन्न किया जाएगा सेवा को गिना जाना चाहिए; और ऐसे सभी सह-संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से विचार किया गया। शीर्ष न्यायालय ने फैसले के पैरा 44 में निष्कर्ष को संक्षेप में प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है: -

"संक्षेप में, हम मानते हैं किः

> *(ए) एक बार जब किसी पदाधिकारी को नियम के अनुसार किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता उसकी नियुक्ति की तारीख से*

गणना की जानी चाहिए, न कि उसकी पुष्टि की तारीख के अनुसार। उपरोक्त नियम का परिणाम यह है कि जहां प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ है और नियमों के अनुसार नहीं है और स्टॉप-गैप व्यवस्था के रूप में की गई है, ऐसे पद पर स्थानापन्न को वरिष्ठता पर विचार करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

(बी) यदि प्रारंभिक नियुक्ति नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई है, लेकिन नियुक्त व्यक्ति नियमों के अनुसार अपनी सेवा के नियमित होने तक पद पर निर्बाध रूप से बना रहता है, तो स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जाएगी।

(सी) जब नियुक्तियाँ एक से अधिक स्रोतों से की जाती हैं, तो विभिन्न स्रोतों से भर्ती के लिए अनुपात तय करने की अनुमति है, और यदि इस संबंध में नियम बनाए गए हैं तो उनका आमतौर पर सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

(डी) यदि मौजूदा कोटा नियम का पालन करना असंभव हो जाता है, तो स्थिति की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे एक उपयुक्त नियम से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि कोटा नियम का कई वर्षों तक लगातार पालन नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा करना असंभव था तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोटा नियम टूट गया है।

(ई) जहां कोटा नियम टूट गया है और नियुक्तियां कोटा से अधिक एक स्रोत से की जाती हैं, लेकिन नियुक्ति के लिए नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

का पालन करने के बाद की जाती हैं, नियुक्तियों को नियुक्तियों से नीचे नहीं धकेला जाना चाहिए अन्य स्रोत को बाद की तारीख में सेवा में शामिल किया गया।

(एफ) जहां नियम अधिकारियों को कोटा से संबंधित प्रावधानों में ढील देने की अनुमति देते हैं, आमतौर पर यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि कोटा नियम से विचलन होने पर ऐसी छूट दी गई थी।

(जी) यदि नियम इस विषय पर मौन हैं, तो विभिन्न स्रोतों से भर्ती के लिए कोटा कार्यकारी निर्देशों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(एच) यदि कोटा नियम एक कार्यकारी निर्देश द्वारा निर्धारित किया गया है, और कई वर्षों तक लगातार इसका पालन नहीं किया जाता है, तो निष्कर्ष यह है कि कार्यकारी निर्देश प्रभावी नहीं रह गया है।

(I) महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत स्थायी उप-अभियंताओं के साथ-साथ कार्यवाहक उप-अभियंताओं द्वारा धारित पद उप-अभियंताओं के एकल संवर्ग से संबंधित थे।

(जे) किसी विशेष सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिए गए निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए न कि किसी संभावित त्रुटि का पता लगाने के लिए उसकी जांच की जानी चाहिए। किसी स्थापित स्थिति को अस्थिर करना सेवा के हित में नहीं है। 1982 की रिट याचिका संख्या 1327 के संबंध में, हम आगे कहते हैं:

(के) कि संविधान की धारा 32 के तहत एक आवेदन द्वारा उठाए गए विवाद को पुनर्निर्णय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित माना जाना चाहिए, यदि इसे पहले एक सक्षम न्यायालय द्वारा एक निर्णय द्वारा तय किया गया हो जो अंतिम हो गया हो |"

(12) *प्रोफेसर एसके शर्मा* के मामले में (सुप्रा) श्री शर्मा को शुरुआत में 24.9.1958 को सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 23.10.1963 को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया और उसके बाद छह महीने की अवधि के लिए अस्थायी और तदर्थ आधार पर प्रोफेसर (जूनियर एसडीइल) के रूप में पदोन्नत किया गया। इसके बाद उन्हें दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर दिनांक 28.6.1969 के आदेश के तहत यूपीएससी के माध्यम से नियमित आधार पर प्रोफेसर (जूनियर स्केल) के रूप में नियुक्त किया गया। हालाँकि, चूंकि उक्त पद एक श्री के रूप में उपलब्ध नहीं था। एसएस शर्मा इस पद पर थे; उन्हें प्रोफेसर (पीजी कोर्स) के रिक्त पद पर तदर्थ आधार पर समायोजित किया गया था। तदर्थ आधार पर यह नियुक्ति प्रोफेसर (वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर 28.6.1969 से 14.2.1971 तक और उसके बाद 15.2.1971 से 29.9.1973 तक जारी रही। प्रोफेसर शर्मा को 29.9.1973 से नियमित आधार पर प्रोफेसर (सीनियर स्केल) के रूप में चुना गया था। जिस अवधि के लिए उन्होंने प्रोफेसर (पीजी कोर्स) के पद पर काम किया, उस अवधि के लिए उन्हें उनके वेतन और भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था। प्रोफेसर ने इन परिस्थितियों में ट्रिब्यूनल से संपर्क किया और उन्हें 28.6.1969 से 29.9.1973 तक वेतन और भत्ते का बकाया दिया गया।

इसके बाद, श्री शर्मा ने ट्रिब्यूनल के समक्ष एक और आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रोफेसर (सीनियर स्केल) के पद पर उनकी वरिष्ठता का दावा उनकी दिनांक 28.6.1969 की तदर्थ नियुक्ति से हुआ, जो 29.9.1973 को उक्त पद के लिए उनके नियमित चयन तक जारी रही। ट्रिब्यूनल ने दावा की गई राहत प्रदान की। इस आदेश को अपील में चुनौती दी गई। शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:-

"हमारे विचार में ट्रिब्यूनल वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रोफेसर (सीनियर स्केल) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि के लिए प्रतिवादी को वरिष्ठता देने में पूरी तरह से गलत था और नरेंद्र चड्ढा के मामले के अनुपात को गलत तरीके से लागू किया था। (एआईआर 1986 एससी 638)(सुप्रा)। प्रतिवादी को नियमित रूप से प्रोफेसर (जूनियर स्केल) के रूप में चुना गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग में उपरोक्त पद रिक्त नहीं था, उसे प्रोफेसर (पीजी) के पद पर समायोजित किया गया था कोर्स) और उसके बाद अपने ग्रेड में तदर्थ आधार पर प्रोफेसर (सीनियर स्केल) के पद के खिलाफ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रिब्यूनल ने 1986 के पहले आवेदन संख्या टी-159 में आदेश दिनांक 12.6.1986 द्वारा बकाया की अनुमति दी थी प्रोफेसर (सीनियर स्केल) के पद के लिए 28.6.1969 से 29.9.1973 की अवधि के लिए वेतन और भत्ते की अनुमति दी गई थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस आधार पर अनुमति दी थी कि प्रतिवादी ने वास्तव में प्रोफेसर (सीनियर स्केल) के पद के खिलाफ काम किया था।

अनौपचारिक आधार पर। वेतन और भत्ते देने वाला ट्रिब्यूनल का ऐसा आदेश प्रतिवादी को प्रोफेसर (वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर भी वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं दे सकता है। तदर्थ आधार पर प्रोफेसर (सीनियर स्केल) के पद पर प्रतिवादी को जारी रखने के लिए यूपीएससी की मंजूरी केवल वेतन और भत्ते देने के उद्देश्य से थी और इसे प्रोफेसर के पद पर प्रतिवादी की नियमित नियुक्ति नहीं माना जा सकता है। (वरिष्ठ वेतनमान)। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी को 28.6.1969 को नियमित आधार पर प्रोफेसर (जूनियर स्केल) के पद के लिए चुना गया था और सीमा नियमों के अनुसार प्रोफेसर (जूनियर स्केल) के पद पर नियमित आधार पर तीन साल की सेवा पदोन्नति के लिए आवश्यक थी। प्रोफेसर (वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर। इस प्रकार प्रतिवादी 28 जून,1972 से पहले प्रोफेसर (सीनियर स्केल) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था, जब तक कि उसने प्रोफेसर (जूनियर स्केल) के पद पर तीन साल की सेवा पूरी नहीं कर ली। इस आधार को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी 28.9.1969 से ऐसे पद पर अपनी तदर्थ नियुक्ति की तारीख से प्रोफेसर (वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर किसी भी वरिष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं था..."

(13) *मसूद अख्तर खान* के मामले (सुप्रा) में निर्णय और *डीएन अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, एआईआर 1990 एससी 1311 के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में निर्णय के साथ-साथ *सीधी भर्ती श्रेणी II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1990 एससी*

1607 में संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया था। ।

(14) *अघोर नाथ डे* के मामले (सुप्रा) में, न्यायालय ने *डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य* मामले (सुप्रा) में सारणीबद्ध रूप में दिए गए निष्कर्ष यानी खंड (ए) और (बी) पर और विस्तार किया और चुना दोनों खंडों को उनके संबंधित कार्यों में समेटें। न्यायालय के शब्दों में, ये हैं:-

"पारा 22. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन दोनों निष्कर्षों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए, और निष्कर्ष (बी) उन मामलों को कवर नहीं कर सकता है जिन्हें निष्कर्ष (ए) द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, इसलिए, हम पहले निष्कर्ष (ए) का संदर्भ ले सकते हैं। निष्कर्ष (ए) से यह स्पष्ट है कि वरिष्ठता को प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से गिना जा सके, न कि पुष्टि की तारीख के अनुसार, पद के पदाधिकारी को शुरू में 'नियमों के अनुसार' नियुक्त किया जाना चाहिए। परिणाम निर्धारित किया गया निष्कर्ष (ए) में, यह है कि जहां प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ है और नियमों के अनुसार नहीं है, और स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में की गई है, ऐसे पदों पर स्थानापन्न को वरिष्ठता पर विचार करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार, निष्कर्ष में परिणाम (ए) स्पष्ट रूप से उन मामलों की श्रेणी को बाहर करता है जहां प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ है और नियमों के अनुसार नहीं है, केवल स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में की जा रही है। रिट याचिकाकर्ताओं का मामला पूरी

तरह से निष्कर्ष में इस परिणाम के अंतर्गत आता है (ए), जो कहता है कि वरिष्ठता की गणना के लिए ऐसे पदों पर कार्यभार को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।"

"25. हमारी राय में, निष्कर्ष (बी) को एक अलग तरह की स्थिति को कवर करने के लिए जोड़ा गया था, जिसमें नियमों द्वारा निर्धारित कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की कमी को छोड़कर नियुक्तियां नियमित हैं। यह के शुरुआती शब्दों से स्पष्ट है निष्कर्ष (बी), अर्थात्, 'यदि प्रारंभिक नियुक्ति नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई है' और बाद की अभिव्यक्ति 'नियमों के अनुसार उसकी सेवा के नियमित होने तक'। हमने निष्कर्ष (बी) पढ़ा और इसे निष्कर्ष (ए) के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए ताकि उन मामलों को कवर किया जा सके जहां प्रारंभिक नियुक्ति मौजूदा रिक्ति के खिलाफ की जाती है, जो नियुक्ति आदेश द्वारा एक निश्चित अवधि या उद्देश्य तक सीमित नहीं होती है, और इसके अधीन होती है नियमितीकरण के समय पद के लिए नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में कमी, ऐसे मामलों में प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि पर नियमित नियुक्ति के लिए नियुक्त व्यक्ति हर तरह से पात्र और योग्य है। . नियुक्ति की प्रकृति के बारे में निर्णय, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह इस श्रेणी में आती है, प्रारंभिक नियुक्ति की शर्तों और नियमों में प्रावधानों के आधार पर किया जाना है। ऐसे मामलों में, नियमों द्वारा निर्धारित

प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में कमी को कर्मचारी की किसी भी चूक के बिना, पहले उपलब्ध अवसर पर ठीक किया जाना चाहिए, और नियुक्त व्यक्ति को अपनी सेवा के अनुसार नियमित होने तक पद पर निर्बाध रूप से बने रहना होगा। नियम। ऐसे मामलों में, नियुक्त व्यक्ति को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय नियमों के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में कमी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, और नियुक्ति एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं होने के कारण नियमित नियुक्ति के अधीन है। नियमों की शेष प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा किया जा रहा है। ऐसे मामलों में भी, यदि नियुक्त व्यक्ति की किसी गलती के कारण दोषों को ठीक करने में कोई देरी होती है, तो नियुक्त व्यक्ति को उसकी चूक के कारण पिछली अवधि का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, लाभ केवल उस अवधि तक ही सीमित रहेगा। जिसके लिए "वह दोषी नहीं है। मामलों की यह श्रेणी निष्कर्ष (ए) में शामिल परिणामों से अलग है जो केवल स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति से संबंधित है और नियमों के अनुसार नहीं है। इसलिए, यह है, यह कहना सही नहीं है, कि वर्तमान मामले-निष्कर्ष (बी) के दायरे में आ सकते हैं, भले ही वे निष्कर्ष (ए) में परिणाम द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए हों।"

(15) वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, डा*यरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य* मामले (सुप्रा) में खंड (ए) और

(बी) के साथ-साथ *अघोर नाथ डे* के मामले (सुप्रा) में इन खंडों की व्याख्या और विचार भी शामिल हैं। शीर्ष न्यायालय के पूर्व निर्णयों में व्यक्त होकर यह कहा जा सकता है; (i) किसी पदधारी की वरिष्ठता पर विचार करने के लिए तदर्थ नियुक्त व्यक्ति की अवधि को ध्यान में नहीं रखा जा सकता; (ii) ऐसा केवल तब होता है जब ऐसी नियुक्ति नियमों के अनुसार होती है न कि रास्ते से या स्टॉप गैप व्यवस्था के अनुसार और केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है कि इस प्रकार प्रदान की गई सेवाओं को कैडर में उनकी वरिष्ठता के लिए ध्यान में रखा जाएगा। ; (iii) नियमों के अभाव में, यह ध्यान में रखना होगा कि क्या इस प्रकार की गई नियुक्ति किसी मौजूदा रिक्ति के विरुद्ध है और सीमित अवधि के लिए नहीं है और उस स्थिति में किसी पदधारी द्वारा बिताई गई अवधि पर विचार किया जा सकता है। कैडर में उसकी वरिष्ठता निर्धारित करें; (iv) यदि नियुक्ति कुछ प्रक्रियात्मक दोषों की कमी को छोड़कर अन्यथा नियमित है, तो ऐसे दोष/दोष बाद के नियमितीकरण के साथ ठीक हो जाएंगे; (v) किसी दोषी अधिकारी की ओर से कुछ निष्क्रियता के कारण या न्यायालय के अंतरिम निर्देश के कारण पद पर केवल लंबे समय तक रहने से किसी नियुक्त व्यक्ति को कैडर में अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ऐसी अवधि टैग करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा। कैडर में उनकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में सेवा की अवधि को नजरअंदाज किया जाएगा। उपरोक्त बिंदु केवल उदाहरणात्मक हैं और विषय-वस्तु में संपूर्ण नहीं हैं। कोई भी बिंदु जो इसमें विशेष रूप से शामिल नहीं है, उसकी जांच *डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य* मामले (सुप्रा) के खंड (ए) और (बी) के आलोक में की

जानी है, जैसा कि *अघोर नाथ डे* के मामले (सुप्रा) में बताया गया है।

(16) ऊपर जो देखा गया है उसके आलोक में याचिकाकर्ता के वकील श्री गुरनाम सिंह की दलीलें पूरी तरह से अस्वीकार्य है। केवल इसलिए कि सेवा में कोई व्यवधान नहीं हुआ है, इसे ऐसे कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है जो ऐसे पदधारी को उसके द्वारा बिताई गई अवधि को तदर्थ कर्मचारी के रूप में टैग करने का अधिकार देता है। श्री रणदीप सुरजेवाला के प्रस्ताव का, वास्तव में, *डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य मामले (सुप्रा)* के साथ-साथ *अघोर नाथ डे के मामले (सुप्रा)* में उपरोक्त उद्धृत निर्णयों में विधिवत उत्तर दिया गया है और इसकी आगे विस्तृत करने कि आवश्यकता नहीं है। *देस राज बनाम हरियाणा राज्य और अन्य* में डिवीजन बेंच (1991 का सीडब्ल्यूपी नंबर 8603) एक निष्पादन आदेश की प्रकृति में है या जेजी गुप्ता, जे द्वारा 11 फरवरी, 1988 को तय किए गए *1986 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4468* में दिए गए फैसले में दिया गया निर्देश है। चूंकि जेवी गुप्ता, जे ने निर्देशित किया था अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की पदोन्नति के लिए उसकी पात्रता की गणना के लिए एक तदर्थ कर्मचारी के रूप में सेवा की पिछली अवधि पर विचार किया, डिवीजन बेंच ने इस मामले की जांच किए बिना कि क्या तदर्थ सेवा को न्यायिक घोषणाओं के आलोक में उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए गिना जाना चाहिए या सेवा को नियंत्रित करने वाले नियम, अर्थात्, हरियाणा खाद्य और आपूर्ति विभाग उप कार्यालय (समूह सी) सेवा नियम, 1982, ने एकल पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चुना। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों निर्णय गलत आधार पर आगे बढ़े हैं और शीर्ष

न्यायालय के निर्णयों की अनदेखी की गई है। ये दोनों निर्णय सही कानून नहीं बनाते हैं और परिणामस्वरूप इन्हें खारिज कर दिया जाता है।

(17) सोहन लाल के मामले में डिवीजन बेंच (सुप्रा) ने हरियाणा खाद्य और आपूर्ति विभाग उप कार्यालय (समूह सी) सेवा नियम, 1982 के नियम 11 की जांच करने के बाद और प्रोफेसर एसके शर्मा के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले के आलोक में (सुप्रा) और मसूद अख्तर खान के मामले में (सुप्रा) इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तदर्थ आधार पर प्रदान की गई सेवा को वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाना चाहिए। हालाँकि, बेंच ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया कि क्या तदर्थ सेवा को छुट्टी, वेतन वृद्धि और पेंशन के लिए गिना जाएगा, यह दृष्टिकोण शीर्ष न्यायालय के ऊपर दिए गए फैसले के अनुरूप है और इस प्रकार इसे मंजूरी दे दी गई है।

(18) ऊपर जो चर्चा की गई है, उसके मद्देनजर हमारा मानना है कि कैडर में नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए तदर्थ सेवा को नहीं गिना जा सकता है।

(19) सिविल रिट याचिका को अब प्रश्न के उत्तर के अनुसार निपटान के लिए डिवीजन बेंच के समक्ष रखा जाएगा।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य

के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी

10514 एच. सी.-सरकार। प्रेस, यू. टी., सीएच. डी.